भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2042

11 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)

2042. श्री लालजी वर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंबेडकर नगर जिले में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच) और अन्य श्रेणियों में पंजीकृत राशन कार्डधारकों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान अंबेडकर नगर जिले में कितने फर्जी या अपात्र लाभार्थियो की पहचान की गई है और संबंधित उचित मूल्य की दुकान के दुकानदारों और अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान अंबेडकर नगर जिले में निलंबित, रद्द की गई या काली सूची में डाली गई उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस संबंध में औचक निगरानी में संसद सदस्यों, विधायकों, ग्राम प्रधानों जैसे जन प्रतिनिधियों की कोई भूमिका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या उन्हें उक्त श्रेणी के अंतर्गत छूट गए पात्र परिवारों की सिफारिश करने का अधिकार है और यदि हां, तो ऐसा करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत पंजीकृत राशन कार्डों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)	प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच)
65,967	3,47,774

(ख): पिछले 5 वर्षों में, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में 21,944 राशन कार्ड अपात्र पाए गए और उन्हें रद्द कर दिया गया।

...2/-

(ग): पिछले 5 वर्षों में, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में 67 उचित दर दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे और 87 उचित दर दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे।

(घ) और (ड.): अधिनियम की धारा 10(1) के तहत अधिदेशित, राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे योजना पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार एएवाई परिवारों की पहचान करें और शेष परिवारों को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में चिह्नित करें तथा अधिनियम के तहत उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न का वितरण करें।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सार्वजनिक प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर दिए गए सुझावों के सत्यापन के बाद, एएवाई योजना से छूट गए पात्र परिवारों को योजना में शामिल किया जाता है।

जन प्रतिनिधियों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/उप मंडल मजिस्ट्रेट/जिला आपूर्ति अधिकारी को दिए गए निर्देशों पर सक्षम प्राधिकारी संबंधित व्यक्तियों/परिवारों की पात्रता का सत्यापन करते हैं और पुष्टि होने पर, ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन/सहायक दस्तावेज प्राप्त किए जाते हैं, और पात्रता के अनुसार पीएचएच या एएवाई श्रेणी के तहत राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

*****